Title: Need to enhance the limit of cash transaction and deposit in banks without production of PAN card from Rs. 20,000/- to Rs. 1,00,000/- Laid.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, आयकर अधिनियम की धारा 40ए (3) के अंतर्गत प्रतिदिन मात्र 20,000/- रूपये तक ही नगद व्यापारिक लेन देन वर्ष 1997 से वैद्य है। मुद्रास्फीति और बैंकों की शाखाओं की कमी के कारण छोटे-छोटे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैंकों में भी बिना पैन नं0 के 20,000/- रूपये ही डालने का प्रावधान है। उनकी मांग है कि इन दोनों की राशि 20,000/- रूपये से बढ़ाकर 100,000/- रूपये कर दी जाये। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि कृपा कर उनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाये।